असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/ **दिनांक: 28 जून, 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 051 400	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 001 400
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: 28 जून, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम।

महोदय/ महोदया,

आरईसी लिमिटेड की आज की बोर्ड बैठक के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है:

1) हमारे दिनांक 23 जून, 2026 के पत्र के क्रम में और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 30 और विनियम 51 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के अन्य लागू परिपत्रों, नियमों और/या विनियमों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने 28 जून, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, ऑडिट समिति और स्वतंत्र निदेशक समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत, अन्य बातों के साथ-साथ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी" / "हस्तांतरिती कंपनी") और आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "हस्तांतरक कंपनी" या "कंपनी") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच विलय की योजना ("योजना") पर विचार किया और उसे मंजूरी दी है। यह मंजूरी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों ("कंपनी अधिनियम"), आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(6) और अन्य लागू प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रदान की गई है।"

   इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरईसी के पीएफसी में विलय के लिए निर्धारित तिथि (योजना के तहत यथा परिभाषित) से चालू चिंता के आधार पर प्रदान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप: (i) आरईसी को बंद किए बिना समाप्त किए बिना आरईसी का विघटन; और (ii) आरईसी के पात्र शेयरधारकों (योजना के तहत यथा परिभाषित) को प्रतिफल शेयर (योजना के तहत यथा परिभाषित) जारी करना, रिकॉर्ड तिथि के अनुसार। (योजना के तहत यथा परिभाषित किया गया है) शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार, अर्थात् 10 रुपये के पीएफसी के 88 इक्विटी शेयर आरईसी के प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के लिए 10 रुपये के प्रत्येक पूर्ण रूप से भुगतान किए गए हैं और योजना में निर्धारित तरीके से परिणामी या अन्यथा एकीकृत रूप से जुड़े विभिन्न अन्य मामले हैं।

यह योजना आवश्यक विनियामक और अन्य स्वीकृतियों के अधीन होगी, जैसी भी आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 37 और 59ए के प्रावधानों के तहत 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए इस योजना को बीएसई लिमिटेड **("बीएसई")** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **("एनएसई")** **("एनएसई"** और **"बीएसई"** को सामूहिक रूप से **"स्टॉक एक्सचेंज"** कहा जाएगा) के पास दाखिल किया जाएगा।

कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना की प्रति, इसे स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा करने के बाद, कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सूचीबद्धता विनियमों के तहत आवश्यक अन्य विवरण **अनुलग्नक -1** में संलग्न हैं।

2) **फंड जुटाना :** आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 40,000 करोड़ रुपये तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड जुटाने का प्रस्ताव। यह फंड शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, एक या अधिक किस्तों में जुटाया जाएगा।"

बोर्ड की बैठक शाम 05:25 बजे शुरू हुई और शाम 7:40 बजे संपन्न हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार

अनुलग्नक -1

<table>
<tr><th>क्र.सं .</th><th>विवरण</th><th>ब्यौरा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विलय/समामेलन में शामिल संस्थाओं के नाम, और उनके आकार, टर्नओवर आदि का संक्षिप्त विवरण।</td><td>(i) हस्तांतरणकर्ता कंपनी: आरईसी लिमिटेड (“आरईसी” / “कंपनी”)
₹ करोड़ में
<table><tr><th>विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवल मूल्य</th><th>वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टर्नओवर</th></tr><tr><td>स्टैंडअलोन</td><td>84,290</td><td>59,140</td></tr><tr><td>समेकित</td><td>85,054</td><td>59,584</td></tr></table>
(ii) हस्तांतरिती कंपनी: पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (“पीएफसी”)
₹ करोड़ में
<table><tr><th>विवरण</th><th>वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवल मूल्य</th><th>वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टर्नओवर</th></tr><tr><td>स्टैंडअलोन</td><td>1,02,532</td><td>58,504</td></tr><tr><td>समेकित</td><td>1,73,441</td><td>1,15,444</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह 'आर्म्स लेंथ' के आधार पर किया गया है?</td><td>आरईसी और पीएफसी दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, और पीएफसी, आरईसी की चुकता शेयर पूंजी का 52.63% (पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर) धारण करती है।

सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 23(5)(क) के अनुसार, सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 23 के उप-विनियम (2), (3) और (4) के प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच होने वाले लेनदेन पर लागू नहीं होंगे। अतः, प्रस्तावित योजना और विलय के लिए सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 23 के अंतर्गत किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई 2014 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 30/2014 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के विशिष्ट प्रावधानों के तहत निपटाए गए समझौते, व्यवस्था और समामेलन से उत्पन्न लेनदेन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी। अतः, प्रस्तावित विलय पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी।

प्रस्तावित विलय के लिए शेयर विनिमय अनुपात का निर्धारण स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, अर्थात मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज एलएलपी और मैसर्स आरबीएसए वैल्यूएशन एडवाइजर्स एलएलपी द्वारा 28 जून 2026 को जारी संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जिसका समर्थन स्वतंत्र सेबी पंजीकृत मर्चेंट बैंकरों, अर्थात नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा 28 जून 2026 को प्रस्तुत निष्पक्षता राय द्वारा किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संस्था(ओं) का व्यावसायिक क्षेत्र</td><td>आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अनुसूची-ए महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह एक अग्रणी अवसंरचना वित्तपोषण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला —जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण शामिल हैं—के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और सतत अवसंरचना जैसे उभरते क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। आरईसी सड़क और राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि जैसे गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को भी वित्तपोषित करती है। यह 'रिवैम्प्ड</td></tr>
</table>

		डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' जैसी सरकारी योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी और 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), विद्युत मंत्रालय के अधीन एक अनुसूची क श्रेणी का महारत्न सीपीएसई है, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी है। 1986 में अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी देश के विद्युत क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख सहायक रही है, जो उत्पादन, पारेषण और वितरण की जरूरतों—साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और सतत अवसंरचना जैसे उभरते क्षेत्रों—के अनुरूप विभिन्न प्रकार के वित्तीय समाधान प्रदान करती है। पीएफसी सड़क और राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि जैसे गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्रों को भी वित्तपोषित करती है। यह 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (आरडीएसएस), 'अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स' (यूएमपीपी), और 'इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम' (आईपीडीएस) जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। कंपनी 'इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स' (आईटीपी) के लिए बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करती है, जो क्षेत्रीय सुधारों में इसकी भूमिका को और मजबूत करता है। पीएफसी भारत के उभरते विद्युत और अवसंरचना परिदृश्य के वित्तपोषण में सबसे आगे है, जो स्थापित और उभरती हुई, दोनों प्रकार की तकनीकों का समर्थन करती है।
4.	**समामेलन/विलय का औचित्य**	पीएफसी में आरईसी के विलय के कई लाभ होंगे, जिनमें शामिल हैं: क) विलय के बाद बनी इकाई, विद्युत क्षेत्र में सुधारों और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार की प्रधान संस्था के रूप में उभरेगी, जो राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों को मापने योग्य क्षेत्रीय परिणामों में बदलने के लिए एक प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य करेगी। अपने बढ़े हुए पैमाने, वित्तीय मजबूती और संस्थागत क्षमताओं का लाभ उठाकर, विलय के बाद बनी इकाई सरकारी पहलों की प्रभावशीलता, पहुँच और प्रभाव को अधिकतम करेगी, जिससे विद्युत क्षेत्र के विकास और परिवर्तन में तेजी आएगी। ख) जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत 2047' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र को पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। समेकित आधार पर, विलय के बाद बनी इकाई को बेहतर बैलेंस शीट क्षमता, मजबूत पूंजी आधार और उच्च परिचालन दक्षता का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर वित्तपोषण और बेहतर ऋण प्रवाह सक्षम हो सकेगा। ग) विलय के बाद बनी इकाई भारत के ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक अवसंरचना निर्माण के एक प्रमुख वित्तपोषक के रूप में कार्य करेगी, जो उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर तथा ग्रिड आधुनिकीकरण जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों का समर्थन करेगी। अधिक बड़े पैमाने, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षेत्रीय ज्ञान को संयोजित करके, यह पूंजी लगाने और इन उभरते हुए विकास क्षेत्रों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगी। घ) बढ़े हुए पैमाने, विविधीकृत जोखिम , और गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता के साथ, विलय के बाद बनी इकाई परियोजना की बैंक-योग्यता में सुधार करके, अधिक प्रभावी जोखिम-साझाकरण को सक्षम बनाकर, लंबी अवधि की

		पूंजी तक पहुँच बनाकर, और अधिक लचीलेपन तथा स्थिरता के साथ जटिल अवसंरचना वित्तपोषण की संरचना करके बाजार के विश्वास को मजबूत करेगी। ङ) यह विलय बैलेंस शीट को मजबूत करेगा, ऋण लेने की क्षमता और वित्तीय लचीलेपन में सुधार करेगा। क्रेडिट लाइनों को मिलाकर, क्रेडिट मेट्रिक्स में सुधार करके और पूंजी तक पहुँच के चैनलों का विस्तार करके, विलय के बाद बनी इकाई ग्राहकों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का समर्थन कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए फंडिंग की बाधाएं कम होंगी और विद्युत क्षेत्र व व्यापक अर्थव्यवस्था में अधिक ऋण प्रवाह संभव हो सकेगा। च) विलय के बाद बनी इकाई विद्युत क्षेत्र के लिए अधिकांश सरकारी योजनाओं को लागू करने का प्राथमिक माध्यम बन जाएगी और इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय लाभों को अधिकतम करेगी।
5.	**नकद प्रतिफल के मामले में – राशि या अन्य शेयर विनिमय अनुपात**	योजना के अनुसार कोई नकद प्रतिफल शामिल नहीं है। शेयर विनिमय अनुपात: पीएफसी में आरईसी के प्रस्तावित विलय के लिए शेयर विनिमय अनुपात, आरईसी के प्रत्येक 100 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों (जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये है) के बदले, पीएफसी के 88 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये है) होगा।
6.	**सूचीबद्ध इकाई के शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण**	योजना के प्रभावी होने पर, पीएफसी रिकॉर्ड तिथि (जैसा कि योजना के अंतर्गत परिभाषित है) पर आरईसी के शेयरधारकों को (उपर्युक्त शेयर विनिमय अनुपात में) इक्विटी शेयर जारी करेगी। आरईसी के इक्विटी शेयरों को योजना के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा।

******